41

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 78/टोंक/2004-2005

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कल्याण सोशल संस्थान टोंक ×× जिला टोंक राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण – पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज दिनांक बाईस माह सितम्बर सत्र 2004 को टोंक में दिया गया।

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएँ टोंक (राजस्थान)

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
टोंक (राजस्थान)

सचिव
श्री कल्याण सोशल संस्थान
टोंक (राज.)

कार्यालय नगर परिषद, टोंक (राज.) (1) 15

भू–आवंटन–पत्र

(राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत आवंटन)

क्रमांक 7334/2986 दिनांक 30/4/14

भूखण्डधारी का नाम : श्री कल्याण सोशल संस्थान टोंक जरिये श्री [illegible] पटेल

पति/पिता का नाम : स्व. श्री [illegible] पटेल

पता : सिविल लाइन टोंक

भूखण्ड संख्या :

योजना का नाम : [illegible] रोड टोंक

आवंटित भूखण्ड जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न प्रकार है :–

उत्तर :– [illegible] दक्षिण :– [illegible] 723/2

पूर्व :– [illegible] रोड पश्चिम :– [illegible]

जोन संख्या : [illegible]

नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5%/5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय–समय पर बढ़ोतरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. यदि भूखण्ड 500 वर्ग मीटर क्षेत्र तक का है, तो उस पर निर्माण इस आवंटन–पत्र के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोड़ने होंगे एवं नगर परिषद् के निर्धारित बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन–पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र का है तो निर्माण नगर परिषद् से नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
5. इस आवंटन–पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगर परिषद् द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार/नगर परिषद् के समय–समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन–पत्र जारी किया जा रहा है। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगर परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर परिषद् के नियमों के अनुसार नगर परिषद् से करवाना होगा।
10. यह आवंटन–पत्र भूखण्ड के आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.7.99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :–

भूखण्ड की लम्बाई×चौड़ाई $\frac{148'6'' + 156'6''}{2} \times \frac{276'0'' + 327'3''}{2}$ = 45932 [illegible]

सामने ( )

पीछे ( )

साइड ( )

= 5103.6 वर्गगज

True Copy / Photo Copy
NOTARY
Distt Tonk (Raj)
Reg. No. 8239

सचिव
श्री कल्याण सोशल संस्थान
टोंक (राज.)

सहायक अभियंता	आयुक्त	सभापति
नगर परिषद, टोंक	नगर परिषद, टोंक	नगर परिषद, टोंक

कार्यालय तहसीलदार, टोंक

क्रमांक : /राजस्व/17/798 दिनांक : 17-5-17

श्री कल्याण सौशल संस्थान,
टोंक

विषय : श्री कल्याण सौशल संस्थान द्वारा स्वयं की भूमि का माप एवं भू उपयोग परिवर्तन व भूमि व भवन किस क्षेत्र में स्थित है को प्रमाणित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा पटवार सर्किल धोलाखेड़ा बम्बोर रोड ख0नं0 723/5 एवं 723/6 पर श्री श्री कल्याण महाविद्यालय का भवन स्थित है के सम्बन्ध में चाही प्रमाणित जानकारी पटवारी हल्का धोलाखेड़ा से ली गई जिसके अनुसार उक्त सूचना निम्नानुसार है :–

1. मुताबिक संलग्न दस्तावेज अनुसार ग्राम धोलाखेड़ा के आराजी ख0नं0 723/5 रकबा 1.18 बीघा जो स्वयं संस्था के नाम थी जिसको संस्था द्वारा भू उपयोग परिवर्तन करा कर कार्यालय नगर परिषद, टोंक द्वारा 14.5.2014 को संस्थागत (शैक्षणिक) पट्टा 5103.6 वर्गगज का जारी किया हुआ है तथा कुल भूमि 1.18 बीघा का वर्तमान में भू उपयोग परिवर्तन (शैक्षणिक) किया हुआ है। जिसका क्षेत्रफल 4805.1 वर्ग मीटर है तथा ख0नं0 726/6 रकबा 1.08 बीघा ग्राम धोलाखेड़ा भी वर्तमान में उक्त संस्थान के खाते की भूमि है। जिसका क्षेत्रफल 3540.6 वर्ग मीटर है। इस प्रकार संस्था की कुल भूमि 8345.7 वर्म मीटर है।
2. संस्था द्वारा भू रूपान्तरण शैक्षणिक प्रयोजन हेतु 4805.01 वर्ग मीटर किया हुआ है।
3. संस्था की भूमि व भवन दोनों ही नगर परिषद क्षेत्र टोंक की सीमा में स्थित है। जिनके ख0नं0 723/5 व 723/6 में स्थित है।
4. संस्था द्वारा स्वयं की पट्टा शुदा भूमि ख0नं0 723/5 में स्वयं का भवन निर्माण किया हुआ है। जिसमें संस्था द्वारा श्री कल्याण महाविद्यालय का भवन निर्मित है।

उक्त प्रमाण पत्र पटवारी हल्का धोलाखेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है।

तहसीलदार, टोंक
तहसीलदार, टोंक

सचिव
श्री कल्याण सौशल संस्थान
टोंक (राज.)304001

D:\rk\letar1.doc

कार्यालय नगर परिषद्, टोंक

भूमि का पट्टा विलेख

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम (22) के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख।

यह विलेख आज वर्ष 2014 के माह 05 के 14 वे दिन नगर परिषद् टोंक (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति [illegible] व्यवसाय [illegible] निवासी [illegible] (जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले (उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीज धारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीज धारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना [illegible] राजस्व ग्राम [illegible] के खसरा संख्या 723/5 क्षेत्रफल 1 बीघा 15 बिस्वा में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षैत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीज धारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 3062/16 अंके [illegible] मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि : पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल [illegible] प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें तथा अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर, निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

आयुक्त, नगर परिषद्, टोंक (राज.)

सचिव
श्री कल्याण सोशल संस्थान
टोंक (राज.)304001

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्रगाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर इसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : टोंक

राजस्व ग्राम : छोलखेड़ा

खसरा नम्बर : 723/5

पूर्व आम रास्ता छोलखेड़ा पश्चिम अन्य भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो —

सीमा उत्तर खसरा 725 दक्षिण खसरा 723/2 मानचित्र संलग्न है।

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 5103.6 वर्गगज

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगर परिषद की ओर से

आज सन् 20........ माह.............. के.............. वें दिन श्री.. के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये–

आयुक्त
नगर परिषद, टोंक

सभापति
नगर परिषद, टोंक

साक्षी :

1. नाम शौकत कुमार
   पुत्र मोहन लाल
   व्यवसाय राज्य सेवा
   निवास स्थान आदर्श नगर

2. नाम मुबारक
   पुत्र कमरुद्दीन
   व्यवसाय राज सेवा
   निवास स्थान ताल कटोरा टोंक

शौकत कुमार
साक्षी

साक्षी

आज सन् 20........ माह.............. के.......... वें दिन श्री कल्याण सोशल संस्थान टोंक जरिये सचिव श्री सतीश पटेल के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये–

(लीजधारक-द्वितीय पक्ष)

साक्षी :

1. नाम दीपक कुमार
   पुत्र जगदीश प्रसाद
   व्यवसाय Computer
   निवास स्थान Tonk

2. नाम [illegible]
   पुत्र [illegible]
   व्यवसाय [illegible]
   निवास स्थान [illegible]

साक्षी

साक्षी

उप पंजीयक, टोंक (राज.)

सचिव
श्री कल्याण सोशल संस्थान
टोंक (राज.)

द्वारा स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर उक्त खसरा नम्बरान में स्थित ... भूमि में बनाये गये आवासीय योजना (5610 वर्गगज) पर ... नियोजक अजमेर जोन अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक एल/... /एसएलसी/टोंक/402/दिनांक 03.03.10 द्वारा निम्न प्रकार से प्रस्तावित भूमि की भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अभिशंषा की है, "प्रस्तावित भूमि शमशान घाट रोड बहीर बनास रोड पर स्थित है। सड़क मार्गाधिकार 80–100 ... है। सड़क के मध्य से 50 फुट भूमि मार्गाधिकार हेतु छोडनी होगी। ... परिषद की अभिशंषा के मध्य नजर परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जाती है। राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प. 3 (43) नविवि 4/09 दिनांक 25.02.09 की पालना सुनिश्चित की जावे।"

प्रकरण का अध्यन समिति के सदस्यो द्वारा किया जाकर ... नियोजक अजमेर जोन अजमेर की अभिशंषा अनुसार प्रस्तावित ... परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग ... स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अन्त में सभी सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रकरणो में वर्णित भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

[signature]

अध्यक्ष एवं सभापति

(जिला स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन ...)

नगर परिषद, टोंक

कमांक :– 1396 –1400 दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन अजमेर
2. डी0टी0पी0 अजमेर
3. आयुक्त नगर परिषद टोंक
4. सहायक अभियन्ता नगर परिषद टोंक
5. कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद टोंक

[signature]

आयुक्त

नगर परिषद, टोंक

सत्यापित प्रति

आयुक्त

नगर परिषद, टोंक

E:\Surveyor\Mitting.doc

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएँ, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक /फा/संस्था रजि./ 3770 दिनांक 22.9.04

श्री सर्वोदय चन्देल सचिव

श्री कल्याण सोशल संस्थान टोंक

सिविल लाईन, टोंक

रजिस्टर्ड

विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 78/टोंक/2004-05 दिनांक 22-9-2004 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है जिसके प्रावधानों अनुसार आपको प्रतिवर्ष आमसभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएँ भेजना जरूरी है :-

1. संस्था के मामलों का प्रबन्धन किसको सौंपा गया है, उस परिषद्, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद के।
2. एक विवरण-पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों की एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।
4. वर्ष बार लेखों की प्रतिलिपि।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को पहुँच जानी चाहिए।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा-4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सो रुपये तक हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात चूक जारी रहती है, पचास रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा-4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा-4 (का) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गए विवरण-पत्र या नियमों और विनियमों की या उनमें किए गए परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकता है।

नोट : *इस कार्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं० एवं वर्ष अंकित करें।*

संलग्न मूल प्रमाण-पत्र

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएँ टोंक (राजस्थान)

रजिस्ट्रार संस्थाएँ

टोंक (राज.)

संस्था का नाम : श्री कल्याण सौशल संस्थान, टौंक (राज.)

संस्था की नवनिर्वाचित प्रबन्धकारिणी का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

132

पूर्व प्रबन्ध कार्यकारिणी

क्र.सं.	नाम मय पिता	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	शिखा पालीवाल पत्नी श्री समीर पालीवाल	शिक्षाविद्	सिविल लाईन्स, टौंक (राज.)	अध्यक्ष
2	निशा किराड़ पत्नी श्री राजेश किराड़	शिक्षाविद्	सूरतगढ़ थर्मल पॉवर कॉलोनी, सूरतगढ़, जिला गंगानगर (राज.)	उपाध्यक्ष
3	सतीश चन्देल पुत्र श्री कल्याण मल चन्देल	समाजसेवा	136/4, सिविल लाईन्स, टौंक (राज.)	सचिव
4	रमा सोनी पत्नी श्री सीताराम सोनी	गृहिणी	जवाहर बाजार, टौंक (राज.)	कोषाध्यक्ष
5	शंकरलाल सोनी पुत्र श्री दानमल जड़िया	समाजसेवा	मोती बाग रोड़, बड़ा कुआ, टौंक (राज.)	सद[illegible]
6	रेखा दायमा पत्नी श्री राजेश चन्देल	शिक्षाविद्	C/o के.एम. चन्देल, सिविल लाईन्स, टौंक (राज.)	[illegible]
7	अभय सक्सैना पुत्र श्री गंगाराम सक्सैना	समाजसेवा	सुभाष चौक, जयपुर (राज.)	[illegible]

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि [illegible] में प्रस्तुत किये गये पत्र जो [illegible] पत्रावली में पृष्ठ [illegible] से 132 [illegible] की प्रमाणित [illegible] प्रमाणित [illegible] 25-5-2017 को दी गई।

वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी

क्र.सं.	नाम मय पिता	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	शिखा पालीवाल पत्नी श्री समीर पालीवाल	शिक्षाविद्	सिविल लाईन्स, टौंक (राज.)	अध्यक्ष
2	निशा किराड़ पत्नी श्री राजेश किराड़	शिक्षाविद्	सूरतगढ़ थर्मल पॉवर कॉलोनी, सूरतगढ़, जिला गंगानगर (राज.)	उपाध्यक्ष
3	सतीश चन्देल पुत्र श्री कल्याण मल चन्देल	समाजसेवा	136/4, सिविल लाईन्स, टौंक (राज.)	सचिव
4	रेखा दायमा पत्नी श्री राजेश चन्देल	शिक्षाविद्	हाऊसिंग बोर्ड, टौंक (राज.)	कोषाध्यक्ष
[illegible]	अभय सक्सैना पुत्र श्री [illegible]ाराम सक्सैना	समाजसेवा	सुभाष चौक, जयपुर (राज.)	सदस्य
6	[illegible]राम किराड़ पुत्र श्री [illegible]राम किराड़	समाजसेवा	अम्बिका कॉलोनी, टौंक (राज.)	सदस्य
7	[illegible]चन्द जैन पुत्र श्री कपूर [illegible] जैन	एडवोकेट	जिला उद्योग केन्द्र के सामने, जयपुर रोड़, टौंक (राज.)	सदस्य
[illegible]	[illegible]नेश सोनी पुत्र श्री ओम प्रकाश सोनी	शिक्षाविद्	माउण्ट आबू, जिला सिरोही (राज.)	सदस्य
9	श्रीमति शीला शर्मा पत्नि श्री सतीश शर्मा	शिक्षाविद्	सिविल लाईन्स, टौंक (राज.)	सदस्य
10	श्रीमति अनिता दिक्षित पत्निश्री सुर्यप्रकाश दिक्षित	समाज सेविका	1/30, हाऊसिंग बोर्ड, टौंक (राज.)	सदस्य
11	कैलाश चांवला पुत्र श्री नाथुलाल चांवला	समाजसेवा	बाबरों का चौक, पुरानी टौंक, टौंक (राज.)	सदस्य
12	राजाराम जाट पुत्र श्री हजारी लाल जाट	समाजसेवा	केन्टिन कॉलोनी, जयपुर रोड़, टौंक (राज.)	सदस्य
13	श्रीमति सुनिता विजय पत्नि श्री पंकज विजय	गृहिणी	आदर्श नगर, टौंक (राज.)	सदस्य
14	गणपत सामरिया पुत्र श्री चन्दालाल सामरिया	समाजसेवा	गांधी पार्क, टौंक (राज.)	सदस्य
15	रामजस जाट पुत्र श्री रघुनाथ जाट	समाजसेवा	मराठा कॉलोनी, छावनी, जयपुर रोड़, टौंक (राज.)	सदस्य

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष